प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 7

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022..........

प्र. इ. रि. स. 476/22 दिनांक 16/12/2022

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 ......धारायें...7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 ....

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .... 120बी भा.द.सं. ....

(स) अधिनियम ....धारायें..........

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 311 समय 6:05 pm

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 15.12.2022.... समय 03.12 पी.एम. ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 24.11.2022 समय.......01.30 पीएम..........

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण– 270 मीटर ....

(ब) पता – नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर बीट सख्या .... जरायमदेही सं.......

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला..........

6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री सोहेल गोरी..........

(ब) पिता का नाम श्री मोहम्मद युसुफ ....

(स) जन्म तिथि / वर्ष 24 साल..........

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........

जारी होने की जगह..........

(र) व्यवसाय...... ....ठेकेदारी ....

(ल) पता ... 144, नाड़ी मोहल्ला, पाली..........

7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्रीमती चंदा देवी मीणा पत्नी श्री सत्यनारायण मीणा, उम्र 26 साल जाति मीणा निवासी गांव करूमबडियां, पोस्ट कानोड़, पुलिस थाना कानोड़, जिला उदयपुर हाल अध्यक्ष, नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर।
2. श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री राजमल मीणा उम्र 27 साल जाति मीणा निवासी गांव करूमबडियां, पोस्ट कानोड़, पुलिस थाना कानोड़, जिला उदयपुर प्राईवेट व्यक्ति (अध्यक्ष पति)
3. श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल पुत्र स्व0 श्री करण सिंह उम्र 51 साल जाति जैन निवासी बाहर का शहर कानोड़, जिला उदयपुर हाल उपाध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर।

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

..........27,000रू0 रिश्वत राशि..........

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........

..........27,000 / – –रू0 रिश्वत राशि ....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने हेतु। प्रार्थी सोहेल गोरी पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ गोरी, निवासी 144, नाड़ी मोहल्ला, पाली। महोदयजी, निवेदन है कि मैं नगर पालिका कानोड़ में ठेकेदारी का काम करता हूँ तथा सही काम करता हूँ। मेरी फर्म गोल्डन स्टील द्वारा नगर पालिका कानोड़ में सैल्फी पॉईन्ट व ओपन जिम का कार्य किया था। उक्त कार्य के बिल पास करने की एवज में श्रीमती चन्दा मीणा अध्यक्ष द्वारा रिश्वत की मांग की। मेरे द्वारा बहुत मिनत करने पर भी वह नही मानी और कल दिनांक 23.11.22 को अध्यक्ष चन्दा मीणा ने मेरे पर दबाव डालकर मेरी बिल राशि लगभग 8 लाख रूपये का 10 प्रतिशत 80 हजार रूपये रिश्वत के लिये है, अभी तक मेरा बिल पास नही हुआ हैं। चन्दा मीणा अध्यक्ष ने मुझे कहा कि नगर पालिका के लिये लेपटॉप व प्रिंटर खरीदने हैं, यह काम भी मैं तुम्हे दे दूंगी लेकिन आगे भी तुम्हे 10 प्रतिशत कमीशन देना होगा। उसके बाद ही बिल पास होगा। जिस पर मैने हॉ भर दी। मैं श्रीमती चंदा मीणा अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी एसडी सोहेल गोरी।

कार्यालय पुलिस एसीबी अजमेर

समय : 01.30 पीएम　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 24.11.22

उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट परिवादी श्री सोहेल पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ जाति गोरी मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी 144, नाड़ी मोहल्ला, पाली, जिला पाली मोबाईल नम्बर 9649620073 ने उपस्थित कार्यालय होकर उप अधीक्षक पुलिस राकेश वर्मा के समक्ष पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की तो प्रार्थना पत्र अपने परिचित से टाईप करवाना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बतया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि ''मेरे द्वारा नगर पालिका कानोड़ में किये गये कर्य सेल्फी पॉईन्ट व ओपन जिम का बिल अभी तक पारित नही हुआ हैं। नगर पालिका कानोड़ द्वारा कम्प्यूटर प्रिंटर लेपटॉप खरीदने का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जायेगा। उक्त कार्य मुझे देने की एवज में श्रीमती चन्दा मीणा अध्यक्ष कार्य की राशि का 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत मांग कर रही है, जो मैं नही देना चहता हूँ। पूछने पर बताया कि ''मेरी श्रीमती चंदा मीणा अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़ जिला उदयपुर से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन नही हैं।'' प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर परिवादी की रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में बताया तो परिवादी ने कहा कि ''मैं श्रीमती चंदा मीणा अध्यक्ष की नगर पालिका में उपस्थित के बारे में मालुमात कर आपको जरिये फोन सूचित कर दूंगा। इस पर कार्यालय के श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120 को डिजिटल वॉय रिकार्डर सहित तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा एक दूसरे के मोबाईल नम्बरो का आदान–प्रदान करवाया। परिवादी को डिजिटड वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करना समझाया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 29.11.22 को परिवादी श्री सोहेल गोरी ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि श्रीमती चन्दा मीणा अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़ में आयी थी तथा कल भी आयेगी। मैं कल अध्यक्षा से बात कर लूंगा। इस पर परिवादी को बताया कि कल सुबह आपके पास युवराज सिंह हैड़ कानि0 पहुँच जायेगा। दिनांक 30.11.22 को प्रातः श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय नाया मेमोरी कार्ड सुपुर्द परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कानोड़ रवाना किया। दिनांक 01.12.22 को श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 ने बताया कि ''परिवादी की आरोपिता श्रीमती चंदा मीणा एवं उसके पति से नगर पालिका कानोड़ कार्यालय में रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता हुई है। आरोपीगण द्वारा परिवादी से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 25 हजार रूपये लेने पर सहमत हुए हैं।'' परिवादी ने बताया कि उसे 99–99 हजार रूपये के तीन कार्य के पश्चात् सामग्री सप्लाई करने के बाद ही 25 हजार रूपये रिश्वत राशि देनी हैं। अतः कार्यादेश मिलने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही होगी। दिनांक 05.12.22 को श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 ने कार्यालय अलमारी में से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर प्रस्तुत किया, जिसको चलाकर श्री राकेश वर्मा उप अधीक्षक पुलिस ने चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 12.12.22 को परिवादी श्री सोहेल गोरी ने जरिये वाट्स–अप कॉल बताया कि मैने आज दो लेपटॉप, 3 प्रिंटर व एक फोटो स्टेट मशीन मुताबिक कोटेशन इन्दिरा रोजगार गारन्टी योजना (आईआरजीवाई) के तहत सप्लाई कर दिये है, जिनके तीनो बिलो की राशि 2,91,100 रूपये हैं। एक दो दिन में बिल नगर पालिका में पेश करूंगा, उसके बाद बिल पास करने से पूर्व चैयरमेन को उसकी मांग अनुसार रिश्वत राशि भी देनी पड़ेगी।'' इस परिवादी को दिनांक 13.12.22 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया। दिनांक 13.12.22 को श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु परिवादी का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस नरेश चौहान को सुपुर्द किया। श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 ने बताया कि परिवादी श्री सोहेल गोरी का वाट्स–अप कॉल आया है वह रास्ते मे चल रहा है कुछ देर में ऑफिस आ जायेगा। इस पर श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 सुश्री निशा मीणा, सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. नगर उपखण्ड, अष्ठम, अजमेर व दूसरे गवाह श्री प्रकाश, कनिष्ठ सहायक, स्थानय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर को लेकर उपस्थित आया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। परिवादी के उपस्थित आने उसका दोनो गवाहान से परिचय करवाया। परिवादी ने बताया

कि वायस चैयरमेन श्री नरेन्द्र बाबेल भी मेरे द्वारा पूर्व मे किये गये कार्य के संबंध में अपने कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर मैने उसे 1–2 दिन में मिलने के लिए कहा हैं।'' समय 02.00 पीएम पर कार्यालय के वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये तथा वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थेली मे सील्ड कर कपड़े की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 14.12.22 को मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान सुश्री निशा मीणा, एसीबी स्टॉफ श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री गोविन्द सहाय कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड मय प्राईवेट मय चालक के रवाना होकर भीण्डर रोड़, बडगांव टोलटैक्स के पास होटल शिखर पर पहुँच मुकिम हुए। तत्पश्चात् परिवादी श्री सोहेल गोरी उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्र बाबेल, वायस चैयरमेन पूर्व में नगर पालिका कानोड़ में किये गये कार्य की एवज में रिश्वत लेने हेतु बुला रहा हैं। इस पर परिवादी को श्री नरेन्द्र बाबेल से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करने हेतु वॉयस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईश कर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 व श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 01 को रिकार्डर सुपुर्द कर रवाना किया गया। बाद सत्यापन परिवादी एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 उपस्थित होटल शिखर आये तथा परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्र बाबेल ने मेरे द्वारा पूर्व में सैल्फी पॉइन्ट एवं ओपन जिम का कार्य करने के एवज में 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की हैं। मैं उसे 10 हजार रूपये देने लगा तो उसने कहा कि मैं पूरे 40 हजार रूपये ही लूंगा। वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 15.12.22 को अध्यक्ष चन्दा मीणा भी मेरे बिल पास करने की स्वीकृति के हस्ताक्षर तब ही करेगी, जब मैं उसे 25 हजार रूपये रिश्वत दूंगा और अध्यक्ष द्वारा रिश्वत लेने के बाद जब ट्रेप कार्यवाही हो जायेगी तो नरेन्द्र बाबेल को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से वह रिश्वत नही लेगा क्योंकि उसकी दुकान भी नगर पालिका के कार्यालय के नजदीक ही स्थित हैं। परिवादी को दिनांक 15.12.22 को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 25 हजार रूपये लेकर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। इसी दौरान पूर्व से पाबन्दशुदा श्रीमती मीरा बेनीवाल पु.नि., श्री किरण कुमार क.स., श्रीमती रूची उपाध्याय म.का. एवं स्वतन्त्र गवाह श्री प्रकाश मय सरकारी वाहन टैम्पो ट्रेवलर मय श्री जगदीश चालक कानि0 के कीर की चौकी नेशनल हाईवे उपस्थित आये, जिनको आस–पास होटल में रूकने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 15.12.22 को परिवादी उपस्थित आया तत्पश्चात् श्रीमती मीरा बेनीवाल पु.नि., श्रीमती रूची उपाध्याय म.का., श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक एवं स्वतन्त्र गवाह श्री प्रकाश मय वाहन सरकारी मय चालक श्री जगदीश कानि0 को फोन पर तलब करने पर होटल शिखर पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/– रूपये प्रस्तुत करने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री किरण कुमार, कनिष्ठ लिपिक से टैम्पो ट्रेवलर में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी श्री सोहेल गोरी को वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द किया तथा परिवादी के साथ श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्रीमती रूची उपाध्याय मय प्राईवेट इनोवा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर एवं श्रीमती मीरा बेनीवाल पु.नि., श्री गोविन्द सहाय कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टैम्पो ट्रेवलर मय चालक श्री जगदीश कानि0 के शिखर होटल से रवाना होकर कानोड़ से कुछ पहले पहूँचे। श्रीमती मीरा बेनीवाल पु.नि. को मय हमराह एसीबी स्टॉफ के आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल को डिटेन करने हेतु निर्देशित कर रवाना किया। इस दौरान श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी रिश्वत लेन–देन हेतु अन्दर चला गया है तथा मैं नगर पालिका के पास ही उपस्थित हूँ, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान कानोड़ नगर पालिका के सामने स्थित चाय की थडी पर परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 03.12 पीएम पर परिवादी श्री सोहेल गोरी ने नगर पालिका कानोड़ के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि

लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने नगर पालिका के आस–पास खड़े सभी पार्टी सदस्यों श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्रीमती रूची उपाध्याय म.कानि0, एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान सुश्री निशा मीणा, श्री प्रकाश को ईशारा कर अपने पास बुलाकर परिवादी श्री सोहेल गोरी को हमराह लेकर नगर पालिका कानोड़ में अध्यक्ष के कमरे में प्रवेश किया। उक्त कमरे में अध्यक्ष की कुर्सी पर एक महिला व उसके पास वाली कुर्सी में एक पुरूष बैठे मिले। परिवादी ने कुर्सी पर बैठी महिला की और ईशारा कर बताया कि यह अध्यक्ष चंदा मीणा है एवं दुसरी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति अध्यक्ष के पति श्री सत्यनारायण मीणा हैं, जिन्होने अभी मेरे से 27000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त महिला एवं व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताया तो उक्त महिला व उसके पास बैठे व्यक्ति घबरा गये तथा कुछ नही बोल पाये। उन्है सांत्वना देने के बाद उनसे परिचय पूछा तो महिला ने अपना नाम चंदा देवी मीणा पत्नी श्री सत्यनारायण मीणा अध्यक्ष, नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर एवं व्यक्ति ने अपना नाम सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री राजमल मीणा होना बताया। इसी दौरान अन्य टीम प्रभारी श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस जरिये वाट्स–अप कॉल कर अन्य आरोपी श्री नरेन्द्र बाबेल उपाध्यक्ष को उसकी दुकान से डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। आरोपिता श्रीमती चंदा देवी मीणा अध्यक्ष से परिवादी से रिश्वत की मांग व लेने के संबंध में पूछा तो चुप रही। तत्पश्चात् अध्यक्ष पति श्री सत्यनारायण मीणा से पूछा तो उसने कहा कि ''मैंने इससे कोई रिश्वत नही मांगी, इसने स्वेच्छा से दिये है, जो मैंने लेकर अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये हैं।'' इस पर परिवादी ने इसका खण्डन करते हुए बताया कि ''ये झूंठ बोल रहे हैं अभी थोडी देर पहले मेरे द्वारा नगर पालिका कानोड़ के वर्क ऑर्डर दिनांक 05.12.22 के मुताबिक सप्लाई किये गये सामान लेपटॉप, प्रिंटर एवं फोटो मशीन के बिलो को पास करवाने के संबंध में मैं इनसे मिला व मेरे काम के संबंध में बात की तो इन्होने रूपयो की मांग की, जिस पर मैं इन्हें 25000 रूपये देने लगा तो श्रीमती चंदा देवी मीणा के पति श्री सत्यनारायण मीणा ने कहा कि 30,000 रूपये की बात हुई थी। इस पर मैने अपनी जेब से एक दो हजार रूपये का नोट और निकालकर कहा कि 27,000 रूपये ले लो, जिस पर इन्होने पास ही बैठे अपने पति की और हाथ से ईशारा कर इन्हें देने हेतु कहा, जिस पर मैने पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 25000 रूपये एवं एक 2 हजार रूपये का नोट बिना पाउडर लगा हुआ, कुल 27000 रूपये इनको दिये, जो श्री सत्यनारायण मीणा ने अपने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये।'' इसके बाद मैने बाहर आकर आप लोगो को देखकर अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा कर दिया। इसके बाद नगर पालिका कार्यालय में से दो साफ कांच के गिलास एवं साफ पानी मंगवाकर दोनो कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री सत्यनारायण मीणा अध्यक्ष पति के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं बांये हाथ के धोवण का रंग मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर कमशः हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सत्यनारायण की निशादेही से गवाह श्री प्रकाश से आरोपी की जींस की पेंट की दाहिनी जेब मे से 500–500 रूपये के कुछ नोट एवं 2 हजार रूपये का नोट निकलवाकर गिनवाये गये तो 27,000 रूपये होना बताया। जिसको दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो गिनकर 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये एवं 2000 रूपये का एक नोट कुल 27,000 रूपये होना एवं 500–500 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया। जिस पर फर्द पेशकशी में अंकित रिश्वत राशि 25,000 रूपये एवं 2000 रूपये का नोट गवाह सुश्री निशा मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसी दौरान श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस ने बताया कि हमने आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल, उपाध्यक्ष नगर पालिका कानोड़ को डिटेन कर लिया हैं, जिस पर निरीक्षक पुलिस को उक्त आरोपी को लेकर पुलिस थाना भींडर पहुँचने के निर्देश दिये गये। चूंकि नगर पालिका कानोड़ कार्यालय के बाहर काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी है तथा आरोपिता अध्यक्ष जनप्रतिनिधी होने से

पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं द्वारा माहोल खराब किये जाने की आशंका को मध्य नजर रखते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपीगण मय हमराहीयान स्टॉफ, गवाहान, जब्तशुदा आर्टिकल के प्राईवेंट वाहन इनोवा से समय करीब 03.50 पीएम पर कानोड़ से रवाना होकर पुलिस थाना भींडर पहुँचा तथा थाने में उपस्थित सउनि श्री हिम्मत सिंह से ट्रेप कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु कहने पर सउनि द्वारा थानाधिकारी कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने पर थानाधिकारी कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। तत्पश्चात् एक लोवर (पजामा) की व्यवस्था करवाकर आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा द्वारा पहनी हुई पेंट को उतरवाकर थाना भींडर से एक साफ गिलास लेकर उसको पुनः साफ कर थाने से स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर सोडियम कोर्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना बताया इस पर श्री सत्यनारायण मीणा की उक्त पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरकर सील्ड चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पेंट की दाहिनी जेब पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर मार्क ''पी'' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को सिल्ड कर कब्जे एसीबी लिया गया। गवाह सुश्री निशा मीणा के पास सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000 रूपये का मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से पुनः दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना गवाहान द्वारा बताया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के 50 नोट एवं अतिरिक्त लिये गये 2000 रूपये का एक नोट कुल राशि 27000 रूपये को एक कागज के पीले लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसी दौरान श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टॉफ श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 01, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 मय डिटेनशुदा आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल मय वाहन टैम्पो ट्रेवलर मय चालक श्री जगदीश कानि0 के पुलिस थाना भीण्डर उपस्थित आये। श्रीमती चंदा देवी मीणा, अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़ को परिवादी द्वारा पूर्व में नगर पालिका कानोड़ में किये गये कार्य सैल्फी पॉईन्ट एवं ओपन जिम के कार्य के बिल पास करने की एवज में परिवादी श्री सोहेल गोरी से 80,000 रूपये रिश्वत लेने एवं वर्तमान में उसके द्वारा नगर पालिका कानोड़ कार्यालय के लिए सप्लाई किये गये लेपटॉप, प्रिंटर व फोटो स्टेट मशीन का कार्य कोटेशन के आधार पर उसे देने एवं उनका बिल पास करने की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर अपने पति सत्यनारायण मीणा के मार्फत दिनांक 15.12.22 को 27,000 रूपये प्राप्त करने के संबंध में पूछा कि इस बारे में आपका क्या कहना हैं ? ''मेरी श्री सोहेल गोरी से उसके द्वारा किये गये कार्य सैल्फी पॉईन्ट व ओपन जिम के कार्य के बिल पास करने के 80,000 रूपये रिश्वत के संबंध में कोई बात नही हुई ना ही मैने 80,000 रूपये लिये हैं। सैल्फी पॉईन्ट के संबंध में कानोड़ के पार्षदो द्वारा शिकायत की जा रही थी कि अच्छा काम नही हुआ, घटिया काम हुआ है, जिस पर मैने उनको कहां कि जांच करवाउंगी। मैने जांच करवाने के लिए ईओ साहब को कहा था परन्तु कोई जांच नही हुई उससे पहले ही सैल्फी पॉईन्ट में तोड़फोड हो गई, जिसकी पुलिस थाना कानोड़ में रिपोर्ट दी हैं। मैने सोहेल गोरी का बिल इसलिए पास कर दिया क्योंकि श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मुझे बार-बार धमकाया जा रहा था। मैं कनिष्ठ अभियन्ता के खिलाफ उच्चाधिकारियो को बताने वाली थी परन्तु अभी तक नही बताया। मैने लेपटॉप प्रिंटर व फोटो स्टेट मशीन की सप्लाई करने के कार्य की स्वीकृति दी थी, जिस पर सोहेल गोरी ने यह सामान सप्लाई कर दिया। इस बारे में मेरे को हमारे बाबू श्री केसरीमल ने बताया कि सामान आ गया। मैने इस कार्य संबंध में सोहेल गोरी से 30 हजार रूपये नही मांगे थे। आज अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे चैम्बर में आया तथा मेरे पति से बात कर रहा तथा मैं अखबार पढ़ रही थी। इसने मेरे पति को पैसे दिये थे परन्तु कितने दिये तथा किस काम के दिये मुझे पता नही है।'' इस पर लेन-देन के समय रिकार्ड हुई वार्ता को आरोपीया को सुनवाई गई तो बताया कि इसमें आवाज तो है लेकिन मुझे समझ मे नही आ रहा हैं।'' इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पूछा तो अपना नाम नरेन्द्र सिंह बाबेल उपाध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर होना बताया। उक्त श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल को परिवादी श्री सोहेल गोरी की और ईशारा कर पूछा कि इसके द्वारा पूर्व में नगर पालिका कानोड़ के द्वारा दिये गये कार्यादेश की पालना में सैल्फी पॉईन्ट एवं ओपन जिम का कार्य किया था। क्या आप द्वारा उक्त कार्य का बिल पास करवाने की एवज में अपने कमीशन के

रूप में रिश्वत की मांग की हैं ? इस पर आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल ने बताया कि ''इसके द्वारा पूर्व में किये गये कार्य सैल्फी पॉईन्ट व ओपन जिम के कार्य का पूर्व में बिल पास हो चुके हैं। मैने इससे अपने लिये कभी कोई रिश्वत की मांग नही की। मेरे द्वारा इस काम में पार्षदो द्वारा अडंगा नही लगाने हेतु इसके कहे अनुसार मैने कांग्रेस पार्टी के अन्य पांच पार्षदो को 5000–5000 रूपये देने की उनसे हॉ की थी। मैने उनको अभी तक पैसे नही दिये हैं परन्तु कल दिनांक 14.12.22 को जब सोहेल गोरी मेरे से मिलने आया, तब मैने इसको कहा कि मैने पार्षदो को अपनी जेब से दे दिये हैं। इसलिए जब कल शाम को ये मेरे पास आया तो मैने इससे पूछा कि कितने लाया तो इसने कहा कि 10 हजार तब मैने इसे मना कर दिया और कहा कि मैं 39,999 रूपये भी नही लूंगा, मैंने 40,000 रूपये ही अपने पास से दे दिये हैं। मैने किसी को कोई पैसे नही दिये लेकिन मैं जुबान देने के बाद अपनी बात से नही पलटता हूँ। मैने कांग्रेस के पांच पार्षदो को 5–5 हजार रूपये के हिसाब से कुल 25,000 रूपये एवं जिस बीजेपी के पार्षद के वार्ड में उक्त कार्य हुआ हैं, उसे 10,000 रूपये एवं नगर पालिका कर्मचारियो/अधिकारियो को मेरे फॉर्म हाउस पर पार्टी देने पर हुए खर्चे के 5000 रूपये जोड़कर 40,000 रूपये की बात की थी। ठेकेदार सोहेल गोरी को अन्य पार्षद तंग नही करे इसलिए मैने उसे बचाने के लिए हॉ भर दी और पार्षदो को कह दिया कि मैं दे दूंगा, इसलिए मैं चक्कर में आ गया मेरे से गलती हो गई। मैंने अपने स्वयम् के लिए कभी रिश्वत की मांग नही की और ना ही लिये।'' दिनांक 14.12.22 को परिवादी व आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल के मध्य हुई वार्ता, जो कार्यालय के अन्य डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को सुनाया गया तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि ''हॉ, मेरी सोहेल गोरी से कल शाम को बात हुई थी और यह बात आप मुझे सुना रहे हैं, जो सही हैं, इसमें एक आवाज मेरी है, जो सही हैं।'' परिवादी व आरोपी को रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की रिकॉर्डिंग जो कि वॉइस रिकार्डर में दर्ज है को चालु कर सुनायी गई तो परिवादी ने एक आवाज अपनी, दूसरी आवाज आरोपिता श्रीमती चंदा देवी मीणा अध्यक्ष एवं तीसरी आवाज सहआरोपी श्री सत्यनारायण अध्यक्ष पति की होना बताया। इस दौरान श्री प्रतीक झा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर उपस्थित आये तथा अपने पत्रांक 1419 दिनांक 15.12.22 से आरोपीगण का सेवा विवरण एवं परिवादी द्वारा किये गये कार्य सैल्फी पॉईन्ट, ओपन जिम, लेपटॉप, प्रिंटर, फोटो स्टेट मशीन सप्लाई से संबन्धित पत्रावलीयों की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की, जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। श्री प्रतीक झा को परिवादी के कार्य के संबंध में पूछने पर बताया कि उपरोक्त कार्य ठेकेदार श्री सोहेल गोरी द्वारा किये गये है। सैल्फी पॉईन्ट के कार्य का बिल राशि 4,62,210 रूपये का एवं ओपन जिम का 3,94,873 रूपये 8,57,083 रूपये का ऑन लाईन बिल दिनांक 30.11.22 को भेजा गया हैं, जो राशि नियमानुसार दो–तीन दिन बाद सोहेल के खाते में ऑन लाईन जमा हुई होगी। आई.आर.जी.वाई. योजना के अन्तर्गत दो लेपटॉप का कार्य राशि 98000 रूपये, तीन प्रिंटर राशि 95,000 रूपये, एक फोटो स्टेट मशीन राशि 98,100 रूपये कुल पृथक–पृथक तीन कार्यादेश दिनांक 05.12.22 को जारी किये गये थे। सोहेल गोरी द्वारा दिनांक 12.12.22 को उपरोक्तानुसार सामग्री सप्लाई कर दी थी, जिसके बिल भी उसके द्वारा प्रस्तुत कर दिये जाने पर दिनांक 14.12.22 को उक्त सामग्री की स्टॉक में इन्द्राज किया गया। उक्त तीनो पत्रावलियो में अध्यक्ष श्रीमती चंदा देवी मीणा के बिल पास करने की स्वीकृति के हस्ताक्षर आज दिनांक 15.12.22 को हुए हैं। तीनो आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई पुलिस भीण्डर पर तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.12.22 को परिवादी व श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं चार सीडीयां तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थेली में सील्ड कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आरोपीगण पुलिस थाना भीण्डर पर पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर होटल शिखर पहुॅच, मुकिम हुआ। दिनांक 16.12.22 को परिवादी व आरोपीगण श्रीमती चंदा देवी मीणा एवं श्री सत्यनारायण मीणा के मध्य दिनांक 15.12.22 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं चार सीडीयां तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थेली में सील्ड कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 16.12.22 को ही घटना स्थल नगर पालिका कानोड़ पहुॅच, परिवादी की निशादेही से रूबरू गवाहान घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिता श्रीमती चंदा देवी मीणा अध्यक्ष एवं आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा अध्यक्ष पति द्वारा परिवादी श्री सोहेल गोरी के नगर पालिका कानोड़ को

सप्लाई किये गये, लेपटॉप, फोटो स्टेट मशीन, प्रिंटर इत्यादि सामग्री के बिल पास करने की एवज में दिनांक 01.12.22 को 30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा 25,000 रूपये रिश्वत राशि देना तय करना एवं दिनांक 15.12.22 को नगर पालिका कार्यालय कानोड़, जिला उदयपुर में आरोपिता श्रीमती चंदा देवी मीणा की उपस्थिति में उसके सामने उसके पति सहआरोपी श्री सत्यनारायण मीणा द्वारा पाउडरयुक्त 25,000 रूपये रिश्वत राशि व 2000 रूपये अतिरिक्त रिश्वत राशि सहित कुल 27,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी जींस की पेंट की दाहिनी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया हैं। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेन–देन वार्ता से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना प्रमाणित हैं। आरोपी सत्यानारायण के दाहिने हाथ एवं जींस पेंट की दाहिनी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया हैं। इसी प्रकार आरोपी उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल द्वारा परिवादी द्वारा नगर पालिका कानोड़ में पूर्व में किये सैल्फी पॉईन्ट व ओपन जिम के कार्य के बिल पास कराने व अडंगा नही लगाने की एवज में कमीशन के रूप में 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.12.22 से प्रमाणित हैं। इस प्रकार आरोपीगण (1) श्रीमती चंदा देवी मीणा पत्नी श्री सत्यनारायण मीणा, उम्र 26 साल जाति मीणा निवासी गांव करूमबडियां, पोस्ट कानोड़, पुलिस थाना कानोड़, जिला उदयपुर हाल अध्यक्ष, नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर (2) श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री राजमल मीणा उम्र 27 साल जाति मीणा निवासी गांव करूमबडियां, पोस्ट कानोड़, पुलिस थाना कानोड़, जिला उदयपुर एवं (3) श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल पुत्र स्व0 श्री करण सिंह उम्र 51 साल जाति जैन निवासी बाहर का शहर कानोड़, जिला उदयपुर हाल उपाध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 एवं 120बी भा.द.सं. का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर
कैम्प भीण्डर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्रीमती चंदा देवी मीणा पत्नी श्री सत्यनारायण मीणा, अध्यक्ष, नगर पालिका, कानोड़ जिला उदयपुर 2. श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री राजमल मीणा (प्राईवेट व्यक्ति, अध्यक्ष पति), निवासी गांव करूमबडियां, पोस्ट कानोड़, पुलिस थाना कानोड़, जिला उदयपुर एवं 3. श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल पुत्र श्री करण सिंह, उपाध्यक्ष, नगर पालिका कानोड़ जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 476/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4065-68 दिनांक 16.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

16.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।